

सीएम हेल्प लाईन शिकायतों के निराकरण में नगर निगम रतलाम 93.77 वेटेज स्कोर प्राप्त कर लगातार दूसरी बार बना प्रदेश में नम्बर-1

रतलाम 20 फरवरी । नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्प लाईन पर नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के निराकरण में रतलाम नगर निगम को प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के तहत नगर निगम रतलाम 716 शिकायतें निराकरण में संतुष्टि के साथ बंद शिकायतों का वेटेज 47.28 (50 प्रतिशत) 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 9.33 (10 प्रतिशत), निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों का वेटेज 9.66 (10 प्रतिशत), नोट अटेडेंट शिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिशत), मान्य/अमान्य शिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिशत), लंबित शिकायतों की संख्या में कमी का वेटेज 7.5 (10 प्रतिशत) तथा कुल वेटेज स्कोर 93.77 प्राप्त कर प्रदेश में नम्बर 1 बना।

सीएम हेल्प लाईन शिकायतों निराकरण में नगर निगम रतलाम को प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेषित कहा कि आगे भी इसी प्रकार कार्य कर रतलाम नगर निगम को प्रथम पायेदान पर बनाये रखें।

मा0 मुख्यमंत्री जी 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को करेंगे लाभ वितरण

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों हेतु ली बैठक

रतलाम 20 फरवरी । माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिये जाने वाले लाभ वितरण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि 23 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिये जाने वाले लाभ वितरण व संवाद का कार्यक्रम पुराने कलेक्ट्रेट स्थित गुलाब चक्कर में आयोजित किया जाना है। आयोजित कार्यक्रम हेतु टेन्ट, मंच, बैठक आदि व्यवस्था समय पूर्व पूर्ण की जाये साथ ही कार्यक्रम स्थल पर हितग्राहियों को लाने की व्यवस्था भी की जाये।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि उक्त आयोजित कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत 0 वेस्ट की थीम पर आयोजित होना है इस हेतु कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों हितग्राहियों कपड़े से बने थैले का वितरण किया जाये साथ ही 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किये जाने का व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही एसटीपी में ट्रोटेड किये गये पानी के रियूज का भी प्रचार-प्रसार किया जाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि आयोजित कार्यक्रम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वच्छता थोम पर आधारित हो साथ ही कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की थीम पर चित्रकला व स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाकर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर श्री अनुज शर्मा, श्रोमती दिव्या पाटीदार, श्री नवोदित बैरागी आदि उपस्थित थे।

20 फरवरी को 63 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 20 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 20 फरवरी रविवार को 63 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

20 फरवरी रविवार को डम्पर से 25910, ट्रेक्टर से 10660, काम्पेक्टर सूखा कचरा 13620, काम्पेक्टर गीला कचरा 13565 किलो इस तरह कुल 63755 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

8 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा **दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन** **बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त**

रतलाम 20 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 6 व दोपहर में 2 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

20 फरवरी रविवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में बबीता पति सतीश, माला पति दशरथ, रानी पति श्यामलाल, लताबाई पति विजेश, तूफान-बाबुलाल, झोन 4 में जितेन्द्र-भारत। दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में शांतिबाई पति सुरेश व मोहन-मांगीलाल इस तरह 8 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

100 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 20 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पालीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कट्टर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकां से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

मोईज लोखण्डवाला पर 5000 का जुर्माना सुमित ट्रेवल्स की 2 बसों जब्त

रतलाम 20 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 20 फरवरी को राम मंदिर क्षेत्र में माहित लोखण्डवाला द्वारा मकान का मलबा डालने व गंदगी करने पर 5000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा सुमित ट्रेवल्स द्वारा अपनी दो बसों को नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर अवैध तरीके से पार्क करने पर बसों को सील कर जब्त किया गया।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 20 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

बजाजखाना पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरों का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 81.42 लाख व जलकर 20.18 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 20 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरुपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर 1,21,090/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/- व जलकर 64,770/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/- व जलकर 28,140/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/- व जलकर 1,56,600/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/- व जलकर 1,67,280/-, किरण टॉकिज शिविर में

संपत्तिकर 3,89,541/- व जलकर 76,625/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/- व जलकर 37,520/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,91,836/- व जलकर 72,860/-, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87,741/- व जलकर 37,140/- पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 2,81,036/- व जलकर 89,570/-, चौगानिया भैरू मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 91,157/- व जलकर 46,510/-, सायर चबुतरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,036/- व जलकर 1,05,060/-, चौमुखी पुल शिविर में संपत्तिकर 5,20,421/- व जलकर 1,62,610/- की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

28 फरवरी तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 20 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

**3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित**

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 20 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रुपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 205 हितग्राहियों को राशि रुपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 20 फरवरी । शहर की मुख्य सड़कों के किनारे सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने को कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 20 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितां को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/20.02.2022/न.पा.निगम, रतलाम.